न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2011 **दायर दिनांक :—30.12.2010**

उनवान

1. हजारीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री दुर्गालाल जाति कोली
2. गुलाबचन्द आयु 47 वर्ष पुत्र श्री दुर्गालाल जाति कोली
3. द्रोपतीबाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री दुर्गालाल जाति कोली
4. पुष्पाबाई आयु 75 वर्ष बेवा दुर्गालाल जाति कोली
5. भंवरलाल आयु 44 वर्ष पुत्र राधाबल्लभ जाति कोली
6. नाथीबाई आयु 70 वर्ष बेवा राधाबल्लभ जाति कोली
7. छीतरलाल आयु 52 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
8. गोपाल लाल आयु 49 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
9. मदनलाल आयु 44 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
10. गोविन्दलाल आयु 42 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
11. देवीशंकर आयु 40 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
12. नटीबाई आयु 55 वर्ष पुत्री कल्याण जाति कोली
13. नेनगीबाई आयु 75 वर्ष बेवा कल्याण जाति कोली निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0। वादीगण

बनाम

1. अशोक कुमार आयु 43 वर्ष पुत्र नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई
2. मुरलीधर आयु 40 वर्ष पुत्र नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई
3. भगवतीबाई आयु 46 वर्ष पुत्री नाथूलाल पत्नी भवानीशंकर जाति कोली निवासी बरडा सीसवाली रोड अन्ता जिला बारां।
4. भूलीबाई आयु 48 वर्ष पुत्री नाथूलाल पत्नी प्रहलाद महावर जाति कोली निवासी कोली मोहल्ला बागर के पास श्रीपुरा कोटा राज0।
5. सुमित्राबाई बेवा नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई तह0 अटरू।
6. मांगीबाई बेवा नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई तह0 अटरू

7. शंकरलाल आयु 45 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति चाण्डाल निवासी कवाई।

8. किरण पुत्री बाबूलाल जाति चाण्डाल निवासी कवाई।

9. लोचनचन्द, हरिशचन्द, ज्योति, खेमलता, मृगनयनी नाबालिग पिसरान बाबूलाल जर्ये वली माता मिलादेवी बेवा बाबूलाल जाति चाण्डाल निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

10. ,11 रामस्वरूप आयु 35 वर्ष पुत्र किशनलाल (मृतक)

11/1 जानकीबाई बेवा रामस्वरूप।

11/2 तनित नाबालिग पुत्र रामस्वरूप

11/3 लक्ष्मी नाबालिग पुत्री रामस्वरूप

11/4 तानिया नाबालिग पुत्री रामस्वरूप

11/5 रितु नाबालिग पुत्री रामस्वरूप जाति चाण्डाल निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

12 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट</u>

<u>वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती बंटवारा</u>

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री आर0पी0 गोयल।

निर्णय दिनांक / /2022

पत्रावली पेश हुई। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई। संक्षिप्त में वाद इस आश्य का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 के पूर्वजों की खाता संख्या 145 की ख0नं0 24 का रकबा 2 बीघा 6 बिस्व, ख0नं0 25 का रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 27 का रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 28 का रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, आराजीयात स्थित थी जिसमें वादीगण के पूर्वजों का 1/4 —1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 के पूर्वजों नाथूलाल

का 1/2 हिस्सा दर्ज खाता था वाद पत्र के साथ में पुरानी जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 पेश है, जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वणि्रत आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0, ख0नं0 56 का रकबा 1.07 है0, ख0नं0 57 का रकबा 1.88 है0 बनाये है। वाद पत्र के साथ मे मिलान क्षेत्रफल नवीन जमाबंदी पेश है जो काबिल गौर है। पूर्व खातेदार नाथूलाल जो प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 का पूर्वज था पिता व पति था ने वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात में से अपना 1/2 हिस्सा का बेचान प्रतिवादीगण क्रम 7 ल 11 को कर दिया था, बेचान के बाद में खरीददार प्रतिवादीगण 7 ल 11 के नवीन जमाबन्दी 56 का रकबा 1.07 है0, ख0नं0 57 का रकबा 1.88 है0, आराजी खाते दर्ज हो चुकी है व खाता भी अलग हो गया है लेकिन सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से भूलिवश खाता संख्या 292 की आराजी ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.84 है0 आराजीयात में वादीगण के नाम के साथ प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 का नाम भी 1/2 हिस्से में दर्ज खाता कर दिया है जबकि उक्त आराजी पर वादीगण का नाम ही दर्ज खाता होना चाहिये था। और सेटलमेन्ट की गलती का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 ने पिछले वर्ष सन 2009 में आराजी ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 पर जबरन कब्जा कर लिया है और प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 खाता संख्या 292 की उक्त आराजी में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर गैर कानूनी तरीके से अपना हिस्सा खुर्द बुर्द रहन बेचान कब्जा करने पर आमादा है। उक्त आशय की धमकी प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 ने दिनांक 02.10.2010 को दी है जबकि वादीगण उक्त आराजी को अपने पूर्वजों के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। अगर प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये और आराजी खाता संख्या 292 की कुल किता 4 का कुल रकबा 3.84 है0 में दर्ज अपने हिस्से का नाजायज फायदा उठाकर अवैधानिक तरीके से वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को बेचान, रहन, खुर्द–बुर्द कर दिया तो वादीगण अपने स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी से वंचित हो जावेगें जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद मं अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा वादीगण को

अनेकोंनेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। वादीगण यह वाद पत्र पेश कर निवेदन करते है कि निम्न आश्य की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 निम्न आशय की पारित की जावे कि इन्द्राज दुरूस्त करते हुये खाता संख्या 292 का ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.84 है0 में से प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 का नाम खाते में से हटाकर उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 आराजी पर से प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा उक्त आराजीयात का विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा वादीगण क्रम 1 ल 6 तथा 1/2 हिस्सा वादीगण 7 ल 13 के नाम के नाम पृाकि से दर्ज किया जावे, विभाजन में कब्जे का धयान रखा जावे। प्रतिवादीगण 7 लगायत 11 ने नाथूलाल से आराजी क्र की है। इस वजह से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 खाता संख्या 292 की आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 3.84 है0 में अपना नाम दर्ज खाता होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजी को रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। आशय की धमकी प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 द्वारा दिनांक 2.12. 2010 को दी। अगर नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण 1 ल 6 आराजी खुर्द–बुर्द कर देगें इस वजह से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना वाद धारा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई की जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 16.12.2010 को राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर यह जानकारी होने पर कि नवीन राजस्व रिकाड्र में प्रतिवादी क्रम 1 ल 6 को नाम गलत दर्ज हो गया तथा अंतिम बार दिनांक 29.12.2010 को जबरन कब्जा करने, बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः वादीगण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 पारित की जावे किः—

(अ) इन्द्राज दुरूस्त करते हुये वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू की खाता संख्या 292 की आराजी ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0,ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.84 है0 आराजी में से खाते में से प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 आराजी पर से प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 6 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

(स) आराजी खाता संख्या 292 का रकबा 3.84 है0 आराजी का विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा वादीगण क्रम 1 ल 6 तथा 1/2 हिस्सा वादीगण क्रम 7 ल 13 के नाम पृथक से दर्ज किया जावे। वक्त विभाजन कब्जे का ध्यान रखा जावे।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 3 ता 11 एवं 11/1 ता 11/5 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र मद नं0 3 जिस प्रकार लिखे गई है स्वीकार नहीं है उक्त मद अस्पष्ट एवं भ्रामक है वादीगण को इस बाबत निम्न तथ्य प्रकट करना चाहिए।

ए. प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता व पति नाथूलाल ने प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को किस तिथि या मिति को वाद पत्र में वर्णित आराजीयात या उसके भाग का विक्रय किया ?

बी. नाथूलाल के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र क्या रजिस्टर्ड ?

सी. प्रतिफल राशि क्या थी ?

डी. क्या वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में नाथूलाल द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी का विक्रय कर दिया ?

ई. क्या कथित विक्रय के बाद नाथूलाल वाद पत्र के मद नरं. 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में कोई हिस्सा शेष नहीं था?

एफ. क्या प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को किया गया विक्रय सिर्फ नाथूलाल ने ही किया था ?

इस मद में वर्णित तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 1 मा 6 ने दिनांक 29.10.2010 को आराजी ख0नं0 50 पर कब्जा लिया है कतई स्वीकार नहीं है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता पति का अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात पर सदैव से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा काश्त करते चले आ रहे है और इसी कदर ख0नं0 50 एवं अन्य आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कब्जा चला आ रहा है प्रतिवादी संख्या 3 व 6 ने अपने हिस्से की आराजीयात का हकत्याग प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कर देने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाद पत्र के मद नं0 1 व 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात में से आराजी ख0नं0 56 व 57 के अलावा आराजीयात के हिस्से 1/2 पर काबिज चल आ रहे है। वाद पत्र के मद नं0 4 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 , 2 आराजी ख0नं0 50 रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 हे0 ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 वाके कवाई के हिस्से 1/2 के सहखातेदार है और इसी कदर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा हैं उक्त प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात का अन्तरण करने का पूर्णत वैध हक व अधिकार हासिल है जिसमें व्यवधान डालने का वादीगण को कोई हक हासिल नहीं है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हिस्से की आराजीयात पर वादीगण का कोई हक नहीं है ऐसी सूरत में वे कोई आज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का उक्त आराजी के हिस्से 1/2 पर वैध कब्जा है। वादपत्र की मद नं0 5 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 6 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है वादीगण ने धारा 80 सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है वादीगण का यह वाद Pre mature है ऐसी सूरत में वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र की मद नं0 7 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है। वादीगण को कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद पत्र की मद नं0 8 गलत तथ्य दर्ज करने से वाद कारण न होने से खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है। प्रार्थना वादीगण स्वीकार नहीं है।

विशेष आपत्तियॉ

आराजी ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 वाके कवाई तहसील अटरू में वाके है उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/2 दर्ज जमाबंदी है प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने हिस्से की आराजीयात का हकत्याग प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कर देने 7`अब उक्त आराजी के हिस्से 1/2 के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ऊपर वर्णित आराजीयात के हिससे 122 पर बिना किसी व्यवधान के निरन्तर रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जवाबदावे की विशेष आपत्तियों के मद नं. 1 में वणि्रत आराजीयात को वादीगण के साथ संयुक्त में नहीं रखना चाहते है और अपना हिस्से पृथक कराना चाहते है इस हेतु काउन्टर क्लेम पेश है। काउन्टर क्लेम का मूल्यांकन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के मुजब निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम वि☺ वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

ए. आराजी ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0,ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.84 है0 वाके कवाई तहसील अटरू का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य इस कदर विभाजन किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को उक्त आराजीयात में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात में हिस्सा 1/2 प्राप्त हो जावे चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने हिस्से की आराजीयात का हक त्याग प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में कर दिया है लिहाजा प्रतिवादी संख्या 3 व 6 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में दर्ज किया जावे।

काउन्टर क्लेम का खर्चा व अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रदान की जावे।

जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब

3. वादीगण प्रतिवादी क्रम 1, 2 की ओर से पेश जवाब दावा प्रतिवाद पत्र का निम्न लिखित जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि– जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 3 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार नहीं है क्योंकि वाद पत्र के मद नं0 3 में जिस आराजी का बेचान हुआ है वह दर्ज है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र के मद नं0

4 अस्वीकार है क्योंकि वाद पत्र के मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा शेष नहीं बचा है वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर चुके है लेकिन सहवन से सेटलमेन्ट द्वारा वादीगण के नाम के साथ साथ प्रतिवादीगण का नाम दर्ज भी हो चुका है। जिसको वादीगण वाद पत्र के माध्यम से इन्द्राज दुरूस्त करवा कर प्रतिवादीगण का नाम खाते में से हटाकर 3.84 है0 आराजी अपने नाम खाते दर्ज करापाने के अधिकारी है तथा ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 ल 6 को बेदखल करके वादीगण उन्हे वादीगण उन्हे पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं 5 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 6 अस्वीकार है क्योंकि वादीगण द्वारा विधिक धारा 80 सी.पी.सी. का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करके धारा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 7 स्वीकार नहीं है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में से नाम हटा देना जिसकी जानकारी रिकार्ड की नकलें लेना तब होना इससे बडा वाद कारण क्या हो सकता है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 8 स्वीकार नहीं है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 9 स्वीकार नहीं है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 10 स्वीकार नहीं है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं है। प्रतिवाद पत्र काबिल निरस्तनीय है।

विशेष आपत्तियों प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब

विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 1 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार नहीं है। क्योंकि उक्त मद में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात को वादीगण ही काश्त कर रहे है प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विशेष आपत्तियों मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 2 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार नहीं है क्योंकि वादीगण का वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती है। विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 4 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन करते है कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण का वाद डिक्री फरमाते हुये आराजी ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.84 है0 आराजी इन्द्राज दुरूस्त करके वादीगण के खाते दर्ज की जावे। जिस पर वादीगण काबिज काश्त है।

4. प्रतिवादी क्रम 12 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि चरण संख्या 1 में जो अभिव्यक्ति जिस प्रकार से रचना की गई है उस प्रकार से स्वीकार नहीं है। चरण संख्या 2 अस्वीकार है। चरण संख्या 3 अस्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का ही उल्लेख किया गया है। चरण संख्या 4 अस्वीकार है। चरण संख्या 5 अस्वीकार है। चरण संख्या 6 अस्वीकार है। चरण संख्या 7 अस्वीकार है। चरण संख्या 8 अस्वीकार है। चरण संख्या 9 अस्वीकार है। चरण संख्या 10 अस्वीकार है।

वाद में अंकित ग्राम कवाई की भूमि नवीन ख0नं0 50 रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 रकबा 0. 91 है0, ख0नं0 53 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 रकबा 1.60 है0, ख0नं0 56 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 57 रकबा 1.88 है0 बनाए है। जिससे मुख्य रूप से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11तक ही सिधे–सिधे प्रभावित है। राजस्थान सरकार फोरमल पक्षकार है। अतः वाद को merits (गुण व अवगुण) के आधार पर फैसल फरमावे।

विवाधक

5. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम कि गईः–

तनकी नं. 1 –आया वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 के पूर्वजों की शामलाती खाते की थी जिसमें वादीगण के पूर्वजों का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज था तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पूर्वजों का भी 1/2 हिस्सा दर्ज था।

वादीगण

तनकी नं. 2– आया वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये नम्बर बनाये है जो वाद पत्र की मद नं.0 2 में दर्ज है।

वादीगण

तनकी नं. 3 –आया प्रति. क्रम 1 ता 6 के पिता पूर्वज नाथूलाल द्वारा अपना वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण क्रम 7 ता 11 को बेचान कर दिया था जिस आधार पर 1.07 है0 तथा 1.88 है0 आराजी उनके खाते दर्ज हो चुकी है।

वादीगण

तनकी नं. 4– आया सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नवीन रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण के खाते में वादीगण के नाम के साथ–साथ प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का नाम भी दर्ज कर दिया है इस

वजह से इन्द्राज दुरूस्त कराकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का नाम खाता संख्या 292 की 3.84 है0 भूमि पर से हटाकर उन्हे पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी नं. 5– आया ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 पर से प्रति0 क्रम 1 ता 6 को बेदखल करके वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा आराजी का विभाजन वादीगण अपने हिस्से के मुताबिक करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी नं. 6– आया विवादित आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार प्रति. क्रम 1 व 2 है जिनका उनके हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 6

तनकी नं. 7– आया वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खिलाफ सह खातेदार होने की वजह से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 6

तनकी नं. 8– आया प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजी का विभाजन कराकर अपना 1/2 हिस्सा प्रति0 क्रम 1 , 2 अपने नाम दर्ज खाता करा पाने के अधिकारी है। जिसमें ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 आराजी भी शामिल है।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 6

तनकी नं. 9– दादरसी

6. साक्ष्यवादी के तहत pw1 गुलाबचन्द पुत्र दुर्गालाल जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू, pw2 हजारीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू, pw3 छीतरलाल पुत्र कल्याण जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किये गये तथा सशपथ बयाना दर्ज किये गये। साक्ष्यवादियों ने अपने शपथ पत्रों में बताया कि ग्राम माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित पुराना ख0नं0 की आराजी 34 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। जिसमें हम वादीगण के पूर्वजों का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज खाता थी तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 6 के पूर्वजों का भी 1/2 हिस्सा दर्ज खाता थी। उक्त आराजीयात के बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91

है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0, ख0नं0 56 का रकबा 1.07 है0, ख0नं0 57 का रकबा 1.88 है0 बनाये है। प्रतिवादी क्रम 1 लगा 6 के पिता नाथूलाल ने वाद पत्र के मद नं0 1 व 2 में वर्णित शामलाती खाते की आराजी में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 प्रतिवादी क्रम 7 क्रम 11 को बेचान कर दिया था जो प्रतिवादी क्रम 7 लगा 11 के खाते भी दर्ज हो गया है। प्रतिवादी क्रम 7 लगा 11 का खाता भी अलग हो गया है शेष बचा हुआ रकबा वाद पत्र के मद नं0 1 व 2 में वर्णित हम वादीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन सहवन से सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने गलती से हम वादीगण के हिस्से की आरजाी में प्रतिवादी क्रम 1 लगा 6 का 1/2 हिस्से में नाम खाते में दर्ज कर दिया। इस वजह से हम आराजी ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.84 है0 आराजी में से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 6 का नाम हटवा कर सम्पूर्ण आराजीयात हम वादीगण के नाम दर्ज करवाना चाहते है। तथा ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 आराजी पर से हम वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 ला 6 को बेदखल करवाकर कब्जा हम वादीगण प्राप्त करना चाहते है तथा उक्त आराजी का विभाजन करवाकर हम वादीगण 1/2 हिस्सा को अपने नाम अलग से खाता दर्ज करवाना चाहते है इस हेतु माननीय न्यायालय में वाद पेश किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 लगा 6 को ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 से बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। विभाजन में कब्जा काश्त का ध्यान रखा जावे। अभिभाषक प्रतिवादी श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल द्वारा जिरह की गई।

7. साक्ष्य प्रतिवादी के तहत Dw1 मुरलीधर पुत्र नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रतिवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0 माल कवाई तहसील अटरू की आराजी मेरे एवं मेरे भाई बहिनो का 1/2 हिस्सा है जिस पर मेरा व मेरे परिवारजनों का कब्जा काश्त है। मेरे पिता नाथूलाल जी ने उपरोक्त आराजीयात में अपने हिस्से का विक्रय वादी पक्ष या उनके परिवारजनों को नहीं किया ना ही कोई विक्रय से संबंधित कोई दस्तावेज ही तररी करवाया है ना ही कब्जा दिया है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर काश्त मै तथा मेरा भाई अशोक संयुक्त रूप से करते है। उक्त आराजी को अन्य सहखातेदारेां के साथ संयुक्त में नहीं रखना चाहता तथा अपना हिस्सा पृथक कराना चाहते है। अभिभाषक प्रतिवादी श्री मोहनलाल सुमन द्वारा जिरह की गई।

8. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई।

9. उपभय पक्षकारान की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी नं. 1 –आया वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 के पूर्वजों की शामलाती खाते की थी जिसमें वादीगण के पूर्वजों का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज था तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पूर्वजों का भी 1/2 हिस्सा दर्ज था। इस तनकी का साबित करने का भार वादीगण पर था। ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 (प्रदर्श–3) के अनुसार साबिक ख0नं0 24 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 25 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 27 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 28 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, व ख0नं0 29 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता नाथूलाल पुत्र गजानन्द हिस्सा 1/2, वादी क्रम 1 ता 4 के पिता दूर्गालाल पुत्र गणेश व वादी क्रम 5 भंवरलाल पुत्र राधाबल्लभ नाबालिग जर्ये वली माता हिस्सा 1/4 एवं वादीक्रम 7 ता 13 के पिता व पति कल्याण पुत्र मोडया हिस्सा 1/4 जाति कोली दर्ज रिकार्ड था। इस संबंध में ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2063–66 प्रदर्श 5 एवं साक्ष्यवादी के सशपथ बयानों pw1 to pw3 का भी अवलोकन किया गया जिसके आधार पर तनकी नं0 1 में उल्लेखित तथ्य साबित होते है।

अतः प्रदर्श 3, प्रदर्श 5, साक्ष्यवादी के सशपथ बयानों pw1 to pw3 तथा उभयपक्षकारान की बहस के आधार पर तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2– आया वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये नम्बर बनाये है जो वाद पत्र की मद नं.0 2 में दर्ज है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2036–39 प्रदर्श 3 एवं भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के दौरान साबिक ख0नं0 24 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का नवीन ख0नं0 50 रकबा 0.74 है0, साबिक ख0नं0 25 मिन रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा का नवीन ख0नं0 52 रकबा 0.91 है0 व ख0नं0 53 रकबा 0.59 है0, साबिक ख0नं0 27 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा का नवीन ख0नं0 55 रकबा 1.60 है0, साबिक ख0नं0 28 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का

नवीन ख0नं0 56 रकबा 1.07 है0 व साबिक ख0नं0 29 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा का नवीन ख0नं0 57 रकबा 1.88 है0 बनाये गये।

अतः प्रदर्श 3, प्रदर्श 4, साक्ष्यवादी के सशपथ बयानों pw1 to pw3 तथा उभयपक्षकारान की बहस के आधार पर तनकी नं0 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 –आया कि प्रति. क्रम 1 ता 6 के पिता पूर्वज नाथूलाल द्वारा अपना वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण क्रम 7 ता 11 को बेचान कर दिया था जिस आधार पर 1.07 है0 तथा 1.88 है0 आराजी उनके खाते दर्ज हो चुकी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान वादी पत्र के मद क्रम 3 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल सहखातेदार नाथूलाल पुत्र गजानन्द ने विवादित आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा में से अपना हिस्सा 1/2 (साबिक ख0नं0 28 व 29) जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 7 ता 11 के पिता व दादा किशनलाल चांडाल को बेचान कर दी थी। इसी दौरान तहसील अटरू में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट कार्य शुरू कर दिया गया था। अतः सेटलमेन्ट विभाग ने विक्रय पत्र के आधार पर मूल खातेदार नाथूलाल पुत्र गजानन्द के बेचान किये गये 1/2 हिस्से को **सीधे ही किशन चांडाल के खाते** दर्ज कर नवीन ख0नं0 56 रकबा 1.06 है0 व ख0नं0 57 रकबा 1.88 है0 बना दिये गये। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता से सांठगांठ कर वादीगण के पिता दूर्गालाल, भंवरलाल एवं कल्याण के खाते की शेष बची आराजी हिस्सा 1/2 (साबिक ख0नं0 24, 25, 27 कुल किता 3 कुल रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा) भूमि पर भी विक्रेता सहखातेदार नाथूलाल पुत्र गजानन्द का नाम दर्ज कर दिया गया, जो कि विधि विरूद्ध है।

पत्रावली में उपलब्ध ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2036–39 प्रदर्श 3 , भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4, जमाबंदी संवत 2063 से 66 प्रदर्श 5, जमाबन्दी संवत 2063–66 प्रदर्श 6, ख0नं0 57 की जमाबंदी संवत 2063–66 प्रदर्श 7, ख0नं0 56 की जमाबन्दी संवत 2063–66 प्रदर्श 8 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि ग्राम कवाई के साबिक ख0नं0 24 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का नवीन ख0नं0 50 रकबा 0.74 है0, साबिक ख0नं0 25 मिन रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा का नवीन ख0नं0 52 रकबा 0.91 है0 व ख0नं0 53 रकबा 0.59 है0, साबिक ख0नं0 27 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा का नवीन ख0नं0 55 रकबा 1.60 है0, साबिक ख0नं0 28 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का नवीन ख0नं0 56 रकबा 1.07 है0 व साबिक ख0नं0 29 रकबा 11 बीघा 8

बिस्वा का नवीन ख0नं0 57 रकबा 1.88 है0 बनाये गये और मूल विवादित आराजी किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता नाथूलाल पुत्र गजानन्द हिस्सा 1/2, वादी क्रम 1 ता 4 के पिता दूर्गालाल पुत्र गणेश व वादी क्रम 5 भंवरलाल पुत्र राधाबल्लभ नाबालिग जर्ये वली माता हिस्सा 1/4 एवं वादीक्रम 7 ता 13 के पिता व पति कल्याण पुत्र मोडया हिस्सा 1/4 जाति कोली दर्ज रिकार्ड था। लेकिन मूल खातेदार नाथूलाल पुत्र गजानन्द ने वर्ष 1980–81 में अपना हिस्सा 1/2 किशन लाल चांडाल को बेचान किया या नहीं इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसी प्रकार विवादित सहखातेदारी की आराजी का हिस्सा 1/2 केवल नाथूलाल पुत्र गजानन्द द्वारा बेचान किया गया था या फिर सभी चारों सहखातेदारों द्वारा संयुक्त रूप से बेचान किया गया था इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। ***न्यायालय द्वारा इस संबंध में वादीगण को उक्त बेचान की सेल डीड पेश करने के लिए दिशा निर्देशित किया गया था लेकिन वादीगण द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी सेल डीड की सत्यापित प्रतिलिपी पेश नहीं की गई है। वादीगण द्वारा विवादित आराजी के बेचान का न तो नामान्तरण पंजिका पेश की है और न ही तात्कालिन जमाबंदी संवत 2040–43 व आगे की पेश की है।***

वादीगण द्वारा पेश साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 3 की जिरह के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मूल खातेदार नाथूलाल पुत्र गजानन्द ने भूमि का बेचान होना प्रतित होता है। लेकिन बेचान का कोई भी दस्तावेज वादीगण के पास नहीं है। साथ में ही किस किस खातेदार ने कितने रूपये में भूमि का बेचान किया यह भी पता नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 लम्बे समय से हाल ख0नं0 50 रकबा 0.74 है0 पर कब्जा काश्त चले आ रहे है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में तनकी नं0 2 के तथ्य साबित नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एवं आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4– आया सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नवीन रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण के खाते में वादीगण के नाम के साथ–साथ प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का नाम भी दर्ज कर दिया है इस वजह से इन्द्राज दुरूस्त कराकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का नाम खाता संख्या 292 की 3.84 है0 भूमि पर से हटाकर उन्हे पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार

भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। तनकी नं0 3 में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह निर्धारित करना मुश्किल है कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का बेचान किस किस सहखातेदार ने किया था और किस किस सहखातेदार ने नहीं किया था। अतः शेष बचे 1/2 हिस्से पर सहखातेदारों को निर्धारित नहीं किया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एवं आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 4 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5– आया ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 पर से प्रति0 क्रम 1 ता 6 को बेदखल करके वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा आराजी का विभाजन वादीगण अपने हिस्से के मुताबिक करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि नवीन ख0नं0 50 पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वर्ष 2009 में जबरदस्ती कब्जा काश्त कर लिया था। तनकी नं0 3 व 4 के विश्लेषण के आधार पर एवं ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2063–66 प्रदर्श 5 के अनसुार प्रतिवादीगण 1 ता 6 शेष बची विवादित आराजी के सहखातेदार है और सहखाते की आराजी के प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार निहित होता है अतः बिना खाता विभाजन हुए सहखातेदार को सहखाते की आराजी से बेदखल नही किया जा सकता।

अतः तनकी नं0 5 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 6– आया विवादित आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार प्रति. क्रम 1 व 2 है जिनका उनके हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 पर था। ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2063–66 के अनुसार नवीन ख0नं0 50, 52, 53, व 55 कुल किता 4 कुल रकबा 3.84 है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के सहखातेदारी दर्ज है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 ताा 6 द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अलावा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि उक्त 3.84 है0 आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के साक्ष्य प्रतिवादी डी.डब्ल्यू 1 ने अपने जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि उनका सम्पूर्ण ख0नं0 50 रकबा 0.74 है0 ही कब्जा है।

अतः आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में तनकी नं0 6 प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 7– आया वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खिलाफ सह खातेदार होने की वजह से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 पर था। तनकी नं0 1 ता 6 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 7 प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 8– आया प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजी का विभाजन कराकर अपना 1/2 हिस्सा प्रति0 क्रम 1 , 2 अपने नाम दर्ज खाता करा पाने के अधिकारी है। जिसमें ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0 आराजी भी शामिल है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 पर था। तनकी नं0 1 ता 6 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एवं पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में तनकी नं0 8 प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पक्ष में विरूद्ध निर्णित की जाती है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष – (अ), (ब), व (स) एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र मे चाहा गया अनुतोष–'(ए) अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 02/2011 **दायर दिनांक :–30.12.2010**

उनवान

1. हजारीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री दुर्गालाल जाति कोली
2. गुलाबचन्द आयु 47 वर्ष पुत्र श्री दुर्गालाल जाति कोली
3. द्रोपतीबाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री दुर्गालाल जाति कोली
4. पुष्पाबाई आयु 75 वर्ष बेवा दुर्गालाल जाति कोली
5. भंवरलाल आयु 44 वर्ष पुत्र राधाबल्लभ जाति कोली
6. नाथीबाई आयु 70 वर्ष बेवा राधाबल्लभ जाति कोली
7. छीतरलाल आयु 52 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
8. गोपाल लाल आयु 49 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
9. मदनलाल आयु 44 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
10. गोविन्दलाल आयु 42 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
11. देवीशंकर आयु 40 वर्ष पुत्र कल्याण जाति कोली
12. नटीबाई आयु 55 वर्ष पुत्री कल्याण जाति कोली
13. नेनगीबाई आयु 75 वर्ष बेवा कल्याण जाति कोली निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. अशोक कुमार आयु 43 वर्ष पुत्र नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई
2. मुरलीधर आयु 40 वर्ष पुत्र नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई
3. भगवतीबाई आयु 46 वर्ष पुत्री नाथूलाल पत्नी भवानीशंकर जाति कोली निवासी बरडा सीसवाली रोड अन्ता जिला बारां।
4. भूलीबाई आयु 48 वर्ष पुत्री नाथूलाल पत्नी प्रहलाद महावर जाति कोली निवासी कोली मोहल्ला बागर के पास श्रीपुरा कोटा राज0।
5. सुमित्राबाई बेवा नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई तह0 अटरू।
6. मांगीबाई बेवा नाथूलाल जाति कोली निवासी कवाई तह0 अटरू
7. शंकरलाल आयु 45 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति चाण्डाल निवासी कवाई।
8. किरण पुत्री बाबूलाल जाति चाण्डाल निवासी कवाई।
9. लोचनचन्द, हरिशचन्द, ज्योति, खेमलता, मृगनयनी नाबालिग पिसरान बाबूलाल जर्ये वली माता मिलादेवी बेवा बाबूलाल जाति चाण्डाल निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

10. ,11 रामस्वरूप आयु 35 वर्ष पुत्र किशनलाल (मृतक)

11/1 जानकीबाई बेवा रामस्वरूप।

11/2 तनित नाबालिग पुत्र रामस्वरूप

11/3 लक्ष्मी नाबालिग पुत्री रामस्वरूप

11/4 तानिया नाबालिग पुत्री रामस्वरूप

11/5 रितु नाबालिग पुत्री रामस्वरूप जाति चाण्डाल निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

12 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट</u>

<u>वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती बंटवारा</u>

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री आर0पी0 गोयल।

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0नं0 50 का रकबा 0.74 है0, ख0नं0 52 का रकबा 0.91 है0, ख0नं0 53 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 55 का रकबा 1.60 है0, ख0नं0 56 का रकबा 1.07 है0, ख0नं0 57 का रकबा 1.88 है0 के संबंध में पेश वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)